कम्प्यूटर पारित पत्र सं० - 0809035

पत्र संख्या- वैट अनुभाग/डीजल पेट्रोल/एल0पी0जी0/ 244 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0,
समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

दिनांक: लखनऊ: 07 जून, 2008

महोदय,

डीजल, पेट्रोल, एल0पी0जी0 के दामों में भारी बृद्धि के कारण राज्य की जनता को मंहगाई से राहत देने के उद्येश्य से शासन के आदेश संख्या-क0नि0-2-1810 /ग्यारह-9(1)/08- उ0प्र0अधि0-5-2008- आदेश (25)/2008, दिनांक 07 जून, 2008 (प्रति संलग्न) के द्वारा घरेलू उपयोग हेतु लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) को वैट से करमुक्त कर दिया गया है तथा पेट्रोल पर बिक्रीकर की दर 26 प्रतिशत से घटाकर 23.62 प्रतिशत, डीजल पर बिक्रीकर 21 प्रतिशत से घटाकर 16.16 प्रतिशत कर दिया गया है। परिणामस्वरुप एल0पी0जी0 गैस के प्रति सिलेण्डर के उपभोक्ता मूल्य में लगभग 13 रुपये, पेट्रोल के प्रति लीटर मूल्य में 01 रुपया तथा डीजल के प्रति लीटर मूल्य में रु01.50 की कमी हो गयी है।

2- उपरोक्त शासनादेश की प्रति प्रेषित करते हुये आपसे अनुरोध है कि आपके मण्डल/जिले में कार्यरत आयल कम्पनियों तथा उनके डीलर्स द्वारा की जा रही डीजल, पेट्रोल तथा एल0पी0जी0 के बिक्रय मूल्य में तद् अनुसार कमी करके उपभोक्ता को उपलब्ध कराने की कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें जिससे जनता को इसका तत्काल वास्तविक लाभ मिल सके।

3- कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

संलग्नक: उक्त

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन, एनेक्सी, लखनऊ।

2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

3- श्री यू0सी0दीक्षित/श्री एस0सी0द्विवेदी, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति की पर्याप्त प्रतियां करवा कर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारक अधिकारियों, व्यापारिक संघों एवं अधिवक्ता संघों को उपलब्ध करायें तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराना सुनिश्चित करें।

5- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, उ0प्र0।

संलग्नक: उक्त

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।